न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 223/2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. –2022/669

1. सत्यनारायण पिता श्री भैरूलाल धाकड़ निवासी मेलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड निवासी मेलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा (राज0)।
2. प्रहलाद पिता गोतम चमार निवासी मेलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
3. भंवरी पत्नि गोतम चमार निवासी मेलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

.....विपक्षी

कार्यवाही तहत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थीगण

2– विपक्षी संख्या 1 स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक :– 03.01.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन पत्र बाबत इंद्रराज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया वाके मौजा मैलाना पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा में प्रार्थीगणों की साबिक आराजी नंबर 1145/44, 1145/72, 1145/33 स्थित थी जिसका नवीन भू–प्रबंध अनुसार नवीन आराजी नंबर 1671, 1665 व 1672 में उक्त तीनों आराजी नंबर को नवीन राजस्व नक्शे में भू प्रबंध अधिकारियों ने सेटलमेन्ट के समय गलत तरीके से पेमुद कर दिया पुराने राजस्व नक्शे में आराजी नंबर 1671 जिसका साबिक आ0नं0 1145/44 मीन था के उत्तरी पश्चिमी व पूर्वी भाग पर साबित आराजी नंबर 1145 बीलानाम दर्ज था इसी प्रकार नवीन आ0नं0 1672 व 1665 को भी आ0नं 1671 के साथ एक सिध में गलत तरीके से तरमीम कर दी जहां प्रार्थीगणों का कोई आधिपत्य नहीं है एवं आराजी नंबर 1638 जिसका साबिक आ0नं0 1145 मीन था जो प्रार्थीगण की आराजियात से लगी हुई थी को भी नवीन राजस्व नक्शे में भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से पेमुद कर दिया एवं विरोधाभासी स्थिति राजस्व नक्शे में उत्पन्न कर दी जिसे प्रार्थीगणों के हितों की रक्षार्थ पुनः सुधारकर सही दिशा में पेमुद किया जाना आवश्यक है इस बाबत प्रार्थीगणों ने कई मतबार विपक्षी से उक्त त्रुटि को दूरस्त करने का निवेदन किया परंतु विपक्षी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे ये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ा।

2. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । विपक्षी क्रमांक 2,3 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट ली गई एवं उन्होनो अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

I. ग्राम मैलाना में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 649 पर अंकित आराजी संख्या 1671 रकबा 1.08 हैक्टेयर खातेदार श्री सत्यनारायण पिता भेरूलाल धाकड निवासी मैलाना एवं आराजी संख्या 1665 रकबा 0.65 हैक्टेयर श्रीमती राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड निवासी मैलाना के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी संख्या 1671 के गत भू–प्रबन्ध में 1145/44 मीन रकबा 5 बीघा एवं आराजी संख्या 1672 के गत भू–प्रबन्ध में 1145/33 रकबा 3 बीघा तथा आराजी संख्या 1665 के गत भू–प्रबन्ध में 1145/72 रकबा 3 बीघा अंकित है।

II. ग्राम मैलाना में वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077–80 में आराजी संख्या 1639 रकबा 1.08 हैक्टेयर,आराजी संख्या 1668 रकबा 1.08 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1669 रकबा 0.65 हैक्टेयर श्री प्रहलाद पिता गौतम 1/2, भंवरी पत्नि गोतम 1/2 चमार सा. मैलाना के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के आराजी संख्या 1639 के साबिक आराजी संख्या 1145/15 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 1668 के साबिक आराजी संख्या 1145/10 रकबा 5 बीघा एवं आराजी संख्या 1669 के साबिक आराजी संख्या 1145/36 रकबा 3 बीघा गत भू–प्रबन्ध में नम्बर बने होकर अंकित रिकार्ड है।

III. उक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड व गत रिकार्ड का मिलान कर भू अभिलेख निरीक्षक सरसी द्वारा मौका देखा गया, जिसमें वर्तमान नक्शा में अंकित आराजी संख्या 1665, 1668, 1669, 1671 व 1672 पर वादी श्री सत्यनारायण पिता भैरूलाल व राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा चारदीवारी बनाकर काश्त करते है।

IV. प्रकरण में इसी ग्राम मैलाना के खातेदार श्री प्रहलाद पिता गोतम व भंवरी पत्नि गोतम चमार निवासी मैलाना की तब्दीली होती है, जिसमें वर्तमान आराजी संख्या 1639 रकबा 1.08 हैक्टेयर खातेदारी भूमि एवं आराजी संख्या 1630 रकबा 48.45 हैक्टेयर किस्म चरागाह पर होकर आंशिक भाग पर कब्जा काश्त है। जो एक चक होकर मौके पर चारदीवारी बनी हुई है। चरागाह भूमि श्री प्रहलाद की खातेदारी भूमि के सस्पर्श होकर काश्त की जा रही है। पर्चा मौका अनुसार कई वर्षो से प्रहलाद का कब्जा काश्त इसी आराजियात पर रहता आया है।

उक्त प्रकरण में अंकित भूमि का वर्तमान नक्शा एवं गत भू–प्रबन्ध का नक्शा का मिलान किया गया, जिसमें गत भू–प्रबन्ध नक्शा में गत आराजी संख्या 1145/15 एवं 1145/33 की तरमीम अंकित नहीं है। लेकिन उक्त दोनो आराजियात का गत आवंटन रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें आराजी संख्या 1145/15 मिसल नम्बर 118/81 को आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 695 में रिकार्ड में अमल हुआ, जिसका आंवटन ट्रेस चस्पा है। आराजी संख्या 1145/33 मिसल नम्बर 183 से आवंटन होकर नामान्तरकरण संख्या 905 दिनांक 29.08.1987 से रिकार्ड में अमल हुआ है जिसका आवंटन ट्रेस चस्पा है। उक्त दोनों आराजी संख्या के आवंटन ट्रेस का गत नक्शा से मिलान किया जो आराजी संख्या वर्तमान नक्शा अनुसार खातेदार काबिज है। आराजी संख्या 1668, 1669 में खातेदार प्रहलाद वगैराह की जगह सत्यनारायण व राधाबाई का साबिक नक्शा अनुसार कब्जा–काश्त है तथा आराजी संख्या 1630 के कुलिया रकबे में से 1.73 हैक्टेयर भूमि, जो आराजी संख्या 1639 के उत्तरी भाग से लगता हुआ है, जिस पर प्रहलाद वगैराह का कब्जा–काश्त है। जो साबिक नक्शा अनुसार एवं आवंटन नामान्तरकरण पर चस्पा ट्रेस अनुसार सही है और वर्तमान व गत नक्शा की भिन्नता को स्पष्ट करता है। वर्तमान एवं प्रस्तावित स्थिति निम्नानुसार है:–

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	वर्तमान स्थिति		प्रस्तावित स्थिति
	आराजी संख्या	रकबा	
1.	1671	1.08	सम्पूर्ण रकबा चरागाह (खातेदारी श्री सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल के बजाय)
2.	1665	0.65	सम्पूर्ण रकबा चरागाह (खातेदारी राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड के बजाय)
3.	1668	1.08	खातेदार श्री सत्यनारायण धाकड के नाम दर्ज हेतु
4.	1669	0.65	खातेदार श्रीमती राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड के नाम दर्ज हेतु
5.	1630	48.45	आराजी संख्या 1639 के उत्तरी दिशा से लगा हुआ रकबा 1.73 हैक्टेयर खातेदार श्री प्रहलाद व भंवरी के नाम दर्ज हेतु। शेष रकबा 46.72 हैक्टेयर बदस्तुर चरागाह

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (**Maintenance**) – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो
राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. बहस उभयपक्ष सुनने के उपरांत पत्रावली पर ध्यानपूर्वक अवलोकन ध्यानता से किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगण के साबिक आ0नं0 1145/33, 1145/44 व 1145/72 आ0नं0 1145 के ही भाग थे प्रार्थीगण ने पुराने नक्शे की छाया प्रति भी न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जिसमें आ0नं0 1145/44, 1145/72 दोनों परिवर्तित क्रम में पेमुद किये हुए हैं यानी की आ0नं0 1145/72 के उत्तर में पूर्वी तरफ आ0नं0 1145/44 पेमुद थी। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट से यह भी जाहिर है कि सभी आवंटन एक ही नम्बर से हुए है, जिस कारण साबिक नक्शे में तरमीम नहीं होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई परन्तु सम्बन्धित पक्षकारो का कब्जा उसी क्रम में है। मौके पर कब्जे सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है तथा आवंटन के नामान्तरकरण संख्या 675,905,632 पर उपलब्ध नक्शे से भी पक्षकारो का आधिपत्य तथा साबिक आराजी नम्बर 1145 मे ही आवंटन होना जाहिर आया है तथा काश्तकारो का कब्जा भी उसी अनुक्रम में होकर मौके पर चारदिवारी बना रखी है तथा पक्षकार उसी क्रम में कब्जे काश्त है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो स्थिति प्रस्तावित कि है उसमे किसी पक्षकार का कोई रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है यानि रकबा 1.73 हैक्टेयर प्रार्थीगणो की खातेदारी में बदस्तुर है। विपक्षी क्रमांक 2 व 3 की खातेदारी में भी रकबा 1.73 हैक्टेयर बदस्तुर है तथा चरागाह का रकबा भी 1.73 हैक्टयेर कम बताया है। प्रार्थीगणो के आराजी नम्बर 1671 व 1665 से 1.73 हैक्टेयर भूमि चरागाह दर्ज कर रकबा चरागाह बराबरी प्रस्तावित कि गई है। कूलिया प्रकरण राजस्व कार्मिको द्वारा तथा सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि से राजस्व नक्शे में त्रुटि होना जाहिर आया है तथा प्रार्थीगण उसी त्रुटि को अपने आधिपत्य अनुसार दुरूस्त कराना चाहते है तथा नवीन नक्शे में आराजी नंबर 1671 व 1672 को आराजी नंबर 1665 के उत्तर की तरफ पेमुद कर दिए जबकि तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 1671, 1672 तथा 1668 और 1669 पर प्रार्थी श्री सत्यनारायण पिता भेरूलाल व राधाबाई पत्नि सत्यनारायण धाकड का आधिपत्य है एवं पत्थरकोट की चार दीवारी बनाकर काश्त की जा रही है वहीं आ0नं0 1668 व 1669 जिनका साबिक आराजी नंबर 1145/10 व 1145/36 था के खातेदार प्रहलाद पिता गौतम व भवरी पत्नि गौतम चमार के नाम दर्ज है इनका आधिपत्य आ0नं0 1639 व उससे लगी हुई आ0नं0 1630 रकबा 48.45 हेक्टेयर के 1.73 हेक्टेयर भूमि पर होकर काबिज काश्त है तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार पूराने राजस्व नक्शे में 1145/33, 1145/15 की कोई तरमीम नही की गई थी जिस कारण नामान्तरकरण सख्या 695 पर चस्पा ट्रेस एवं नामान्तरकरण स0 905 पर चस्पा ट्रेस का अवलोकन से जाहीर आया की आराजी न0 1668 व 1669 के खातेदार का अधिपत्य आवंटन अनुसार आराजी न0 1639 के उत्तरी भाग से लगते हुए आराजी न0 1630 रकबे 1.7300 हैक्टेयर पर है साबिक आराजी न0 1145/33 का नक्शा भी नामांतरण स0 905 पर चस्पा है उपरोक्तानुसार ही पक्षकारान काबीज है जिसका नवीन राजस्व नक्शे में गलत अंकन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

6. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण बाबत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हे तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता हे की ग्राम मैलाना की आराजी न0 1671 रकबा 1.0800 हैक्टेयर , आराजी न0 1665 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर को चरागाह, आराजी न0 1668 रकबा 1.0800 हैक्टेयर प्रार्थी श्री सत्यनारायण धाकड पिता भेरूलाल धाकड के नाम, आराजी न0 1669 रकबा 0.6500

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी कमांक 2 श्रीमति राधा पत्नि सत्यनारायण धाकड के नाम आराजी न0 1630 रकबा 48.450 हैक्टेयर मे से 1.7300 हैक्टेयर प्रहलाद पिता गोतम चमार एवं भंवरी पत्नी गोतम चमार के 1/2–1/2 के नाम प्रस्तावित ट्रेस अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। उपर्युक्तानुसार रेकार्ड में एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नवीन राजस्व नक्शा में तरमीम की जावें। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/1/24

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा